

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत, खुटार, जनपद शाहजहांपुर।

अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शामली जनपद शामली/संडीला जनपद हरदोई/रामपुर, स्वार जनपद-रामपुर/आजमगढ़ जनपद-आजमगढ़/गौराबरहज जनपद- देवरिया/ पुवायां जनपद-शाहजहांपुर/नवाबगंज जनपद-गोण्डा/गंगोह नकुड़ जनपद सहारनपुर।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रदेश की विभिन्न नागर निकायों को उनकी मांग पर विकास कार्य हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सम्बंध में कतिपय निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

| क | जनपद का नाम | निकाय का नाम | शासनादेश संख्या एवं दिनांक | स्वीकृत धनराशि |
|---|-------------|---------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | शाहजहांपुर | न.पं. खुटार | सं०-आरएफ508/नौ-9-2013-108आरएफ/12,दि. 27.08.13, | 30.00 |
| 2 | शामली | न.पा.परि. शामली | सं०-आरएफ126/नौ-9-2015-11आरएफ/14,दि. 18.02.15, सं०-आरएफ179/नौ-9-2016-116आरएफ/14,दि. 22.03.16, | 198.02 190.66 |
| 3 | हरदोई | न.पा.परि. संडीला | सं०-आर.एफ532/नौ-9-2014-58आरएफ/14 दि. 19.09.14 | 64.33 |
| 4 | रामपुर | न.पा.परि. रामपुर | सं०-89आर.एफ/नौ-9-2013-180आर.एफ/12 दि. 30.05.13 | 101.84 |
| | | न.पा.परि. स्वार | सं०-आर.एफ343/नौ-9-15-180आर.एफ/12टी.सी.दि.22.04.15 | 29.98 |
| | | | सं०-546आर.एफ/नौ-9-2014-18आर.एफ/03टीसी.1 दि.09.09.14 | 492.80 |
| | | | सं०-500आर.एफ/नौ-9-2014-18आर.एफ/03टीसी.1 दि.09.09.14 | 158.50 |
| 5 | आजमगढ़ | न.पा.परि. आजमगढ़ | सं०-आर.एफ107/नौ-9-2014-25आरएफ/15 दि. 24.02.15 | 283.76 |
| 6 | देवरिया | न.पा.परि. गौरा बरहज | सं०-आर.एफ783/नौ-9-2014-97आरएफ/14 दि. 10.12.14 | 225.48 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------|
| 7 | शाहजहाँपुर न.पा.परि निकायों | सं०-आर.एफ696/नौ-9-2014-78आरएफ/14 दि. 14.11.14 | 212.60 |
| 8 | गोण्डा न.पा.परि निकायों | सं०-आर.एफ783/नौ-9-2014-97आरएफ/14 दि. 10.12.14 | 116.03 |
| 9 | सहारनपुर न.पा.परि गंगोह | सं०-आर.एफ1148/नौ-9-2015-116आरएफ/14 दि. 08.12.15 सं०-आर.एफ321/नौ-9-2016-78आरएफ/14 दि. 02.05.16 | 82.07 168.88 |
| | न.पा.परि नकूड | सं०-आर.एफ1148/नौ-9-2015-116आरएफ/14 दि. 08.12.15 सं०-आर.एफ321/नौ-9-2016-78आरएफ/14 दि. 02.05.16 | 154.84 166.90 |

2. उपरोक्तानुसार कालम 03 में उल्लिखित नागर निकायों को नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 30.06.17 तक इस शर्त के साथ अंतिम रूप से बढ़ायी जाती है कि उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। निकाय द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय ताकि उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता न पड़े। अतः निकाय द्वारा यथा शीघ्र स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के भीतर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.17 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,



(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर, शामली, हरदोई, रामपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोण्डा, सहारनपुर।
- 4- सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद उ०प्र०।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
- 8- गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,



(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।